

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक एफ 3/(38)/LBSNSU/2021/ 2708

दिनांक: 12.09.2022

कार्यालय-सूचना

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यावारिधि (पीएच.डी) पाठ्यक्रम में अस्थायी रूप से पंजीकृत शोध छात्रों हेतु आयोजित सत्रीय पाठ्यक्रम परीक्षा का परीक्षा परिणाम दिनांक 24.08.2022 को घोषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम-2016 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार सत्रीय पाठ्यक्रम परीक्षा में उत्तीर्ण शोध छात्रों के स्थायी पंजीकरण हेतु प्रक्रिया निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार सम्बन्धित विभाग की विभागीय शोध समिति द्वारा सम्पन्न की जायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. सम्बन्धित पीठ प्रमुख - अध्यक्ष
2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष - संयोजक
3. समस्त विभागीय आचार्य - सदस्य
4. सम्बन्धित शोध निर्देशक - सदस्य

समय-सारणी

01	सम्बन्धित विभागों द्वारा विभागीय छात्रों को शोध शीर्षक एवं शोध निर्देशक निर्धारित करने हेतु विभागीय शोध समिति की बैठक आयोजित कर कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि	20.09.2022
02	विभागीय शोध समिति द्वारा संस्तुत शोध शीर्षक के अनुसार शोध छात्रों द्वारा शोध संक्षिप्तिका का प्रारूप तैयार कर सम्बन्धित विभाग के माध्यम से शैक्षणिक विभाग में प्रेषित करने की अन्तिम तिथि	17.10.2022

उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार समस्त विभागों द्वारा विभागीय शोध समिति की बैठक सम्पन्न करवाकर शोध निर्देशकों तथा शोध-शीर्षक निर्धारित कर विभागीय शोध समिति द्वारा शोध शीर्षक प्रारूपों एवं शोध संक्षिप्तिकाओं को संस्तुत कर शैक्षणिक विभाग में निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जायेगा। विभागीय शोध समिति की बैठक का कार्यवृत्त स्वीकृति हेतु आगामी शोधमण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

शोधार्थी जिस विषय में शोध करना चाहता है, उस विषय के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर अपने विषय का चयन तथा रूपरेखा आदि का निर्माण निर्धारित निर्देशों के अनुसार करेंगे। प्रत्येक शोध छात्र द्वारा अपनी शोध संक्षिप्तिका का निर्माण सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही करना होगा। अन्यथा संक्षिप्तिका पर विचार नहीं किया जायेगा। शोध मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली शोध संक्षिप्तिका/प्रपत्र में शोधार्थी और शोधनिर्देशक के हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष की संस्तुति एवं पीठ प्रमुख के

प्रति-हस्ताक्षर होने चाहिए। शोध संक्षिप्तिका की 15 प्रतियां, जिसमें अनुसन्धान के अध्ययन का अभिप्राय हो और स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित हो कि प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में शोध कर्ता का मौलिक योगदान होगा, अज्ञात सामग्री को प्रकाशित किया जायेगा अथवा पहले से ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या की जायेगी। अनुसन्धान विषय की संक्षिप्तिका में प्रस्तावित शोध-योजना, अध्यायीकरण, प्रत्येक अध्याय में विश्लेषित किये जाने वाले सम्भावित विषय, उपकरण पद्धति, अनुमान, समीक्षात्मक निष्कर्ष आदि का प्रतिपादन और इसके साथ ही सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची भी अपेक्षित है। प्रत्येक शोध छात्र को शोध संक्षिप्तिका की एक soft प्रति भी अनिवार्य रूप से शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करवानी होगी।

उपरोक्त के संबंध में समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय द्वारा विद्यावारिधि उपाधि हेतु निर्धारित नियमों को संज्ञान में लेते हुए वह अपने-अपने विभाग की विभागीय शोध समिति की बैठक आयोजित करवाकर बैठक का कार्यवृत्त शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करेंगे, ताकि नियमानुसार शोधमण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाली कार्य सूची निर्धारित समय में तैयार की जा सके।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. समस्त पीठ प्रमुख
02. समस्त विभागाध्यक्ष
03. निदेशक आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा कुलानुशासक
04. उपकुलसचिव (परीक्षा/शैक्षणिक विभाग)
05. सहायक पुस्तकालयध्यक्ष
06. सिस्टम एडमिनिस्ट्रट को इस आशय से प्रेषित कि वे सूचना को वेबसाईट पर अंकित करने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित विभाग की आवश्यकतानुसार विभागीय शोध समिति की बैठक आयोजित कराने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
07. अभियांत्रिक विभाग को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विभाग की आवश्यकतानुसार समिति कक्ष को खुलवाने का कष्ट करें।
08. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव
09. कार्यालय आदेश पंजिका

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

A.P.

Bhush
15/9/2022

12/2022